



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 458 राँची, सोमवार,

31 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 अगस्त, 2026

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-8/2019 का.--38483 (HRMS)--श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-देवघर, को0क्र0-62/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-538/रा0, दिनांक 07.06.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- अपर समाहर्ता, जामताड़ा के पत्रांक-28मु0/रा0, दिनांक 15.12.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि मौजा-बुटबेरिया, थाना नं0-17 के खाता सं0-24, रकबा- 33.12 एकड़ जमीन जो मुकर्ररी स्वत्व की जमीन थी एवं अविक्रयशील थी, उसे श्री सुनील सोरेन, राजस्व कर्मचारी, अंचल जामताड़ा द्वारा दिनांक 21.12.2013 को अंचल अधिकारी, जामताड़ा को समर्पित अपने जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि मौजा-बुटबेरिया, थाना सं0-17 के खाता सं0-24 मुकर्ररी रैयत राम मांझी दीगर के नाम से खतियान में दर्ज है, जो मुकर्ररी स्वत्व की जमीन है। उक्त भूमि हस्तान्तरण योग्य है एवं विषयगत खाता सं0-24 का मुकर्ररी लगान 21.75 पै0 अलावे शेष धार्य है। उक्त प्रतिवेदन को श्री इसमाईल टुङ्ग, तत्कालीन अंचल निरीक्षक,

जामताड़ा द्वारा अंचल अधिकारी, जामताड़ा को अग्रसारित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-09/रा0, दिनांक-08.01.2014 द्वारा जिला अवर निबंधक, जामताड़ा को प्रतिवेदित किया गया कि उक्त खाते की जमीन हस्तान्तरण योग्य है।

उक्त प्रतिवेदन को आधार बनाकर अवर निबंधक, जामताड़ा द्वारा अहस्तान्तरणीय भूमि का हस्तान्तरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया गया, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-20 का उल्लंघन है। "Final Report on the Revision Survey and settlement operation in the District of Santhal Parganas" में उक्त जमीन को रैयती अहस्तांतरणीय बताया गया है। उपायुक्त, जामताड़ा का कार्यालय के आदेश जापांक-101/रा0, दिनांक- 01.02.2016 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया परन्तु प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

श्रीमती हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा सम्प्रति- भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

2. श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, जामताड़ा तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-842(HRMS), दिनांक-12.06.2018 द्वारा श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-192, दिनांक-12.09.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत श्रीमती प्रसाद के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय विभागीय पत्रांक-8624, दिनांक 27.11.2018 द्वारा श्रीमती प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती प्रसाद के पत्र, दिनांक 18.12.2018 द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा की गयी।

4. समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प संख्या-1619(HRMS), दिनांक-04.04.2019 के द्वारा श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से०(प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड इन पर अधिरोपित किया गया।

5. विभागीय संकल्प संख्या-1619(HRMS), दिनांक- 04.04.2019 के द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती हेमा प्रसाद के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 2768/2019 हेमा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

6. W.P.(S) No. 2768/2019 हेमा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2025 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प संख्या-1619(HRMS), दिनांक- 04.04.2019 के द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त कर दिया गया है एवं परिणामी सभी लाभों का भुगतान न्यायादेश की प्रति की प्राप्ति के 12 सप्ताह के अंदर करने का निदेश दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"-----7. In the case at hand, admittedly, the preliminary enquiry report which was partly in favour of the petitioner and partly against him, has been taken into consideration apart from few letters but admittedly, the same was not proved in order to corroborate the charge mentioned in the said letters and/or the preliminary inquiry report.

8. During course of argument, learned counsel has also contended that the preliminary enquiry report cannot be made a ground in the regular departmental proceeding. The said argument appears to be correct and in the afore-referred judgment, the concept of preliminary enquiry has been elaborately dealt with by the Hon'ble Apex Court in para-17 which is quoted herein above.

9. On the ground of this procedural irregularity, the impugned order deserves to be, and, is hereby, quashed and set aside.

10. The respondents are directed to grant the consequential benefits to the petitioner within a period of 12 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

11. Accordingly, the writ application stands allowed.

12. Pending I.A(s), if any, stand closed."

7. WP(S) No- 2768/2019 हेमा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 21.08.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से LPA No.- 830/2025(Arising Out of WP(S) No-2768/2019) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम हेमा प्रसाद दायर की गयी है। साथ ही रिट याचिका में पारित न्यायादेश पर स्थगत आदेश लगाने हेतु आई0ए0 भी दायर किया गया है।

8. WP(S) No- 2768/2019 हेमा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-21.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त श्रीमती हेमा प्रसाद के द्वारा Cont.(Civil) Case No.- 451/2026 हेमा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है।

9. अतः समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है:-

(क) WP(S) No- 2768/2019 हेमा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 21.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या-1619(HRMS), दिनांक- 04.04.2019 के द्वारा श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से०(प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति 'झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड' को विलोपित किया जाता है।

(ख) विभागीय संकल्प संख्या-1619(HRMS), दिनांक- 04.04.2019 के द्वारा श्रीमती हेमा प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति का विलोपन माननीय न्यायालय में दायर LPA No.- 830/2025(Arising Out of WP(S) No-2768/2019) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम हेमा प्रसाद के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा।

10. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	HEMA PRASAD 20060400062	अतः समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है:- (क) WP (S) No- 2768/2019 हेमा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 21.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या-1619(HRMS), दिनांक- 04.04.2019 के द्वारा श्रीमती हेमा प्रसाद, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-62/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति 'झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड' को विलोपित किया जाता है।

		(ख) विभागीय संकल्प संख्या-1619(HRMS), दिनांक-04.04.2019 के द्वारा श्रीमती हेमा प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति का विलोपन माननीय न्यायालय में दायर LPA No.- 830/2025(Arising Out of WP(S) No-2768/2019) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम हेमा प्रसाद के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा।
--	--	---

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
